मीरजापुर पुलिस
प्रेस नोट

दिनांकः11.10.2025

थाना विन्ध्याचल क्षेत्रान्तर्गत हुई युवक की हत्या व साक्ष्य छिपाने की घटना से सम्बन्धित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल तथा मृतक का बीन, आधार कार्ड सहित अन्य सामान बरामद —

अन्तुनाथ पुत्र कंचन नाथ सपेरा निवासी जज्जी का पूरा लोहगरा थाना बारा जनपद प्रयागराज, उम्र करीब-40 वर्ष जो विंध्याचल में सपेरे का काम करता था। दिनांक 15.09.2025 को सायंकाल कहीं चला गया। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 17.09.2025 को अन्तुनाथ के पिता कंचननाथ की प्राप्त तहरीर पर थाना विंध्याचल पर गुमशुदगी दर्ज कर भौतिक/इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलित करते हुए गुमशुदा की तलाश/खोजबीन की जा रही थी कि दिनांक 08.10.2025 को थाना विंध्याचल क्षेत्रांतर्गत काली खोह की झाड़ियों के बीच स्थित कुएं से अन्तुनाथ उपरोक्त का शव बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में वादी कंचननाथ पुत्र नथुआनाथ निवासी जज्जी का पूरा लोहगरा थाना बारा जनपद प्रयागराज की तहरीर पर थाना विन्ध्याचल पर मु0अ0सं0-357/2025 धारा 103(1),238(a) बीएनएस पंजीकृत कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा हत्या की उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर/नगर के नेतृत्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक विन्ध्याचल को निर्देश दिए गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना विन्ध्याचल पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में पतारस्सी सुरागरस्सी, भौतिक/इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलित करते हुए थाना विन्ध्याचल पुलिस द्वारा आज दिनांकः11.10.2025 को प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर शिवपुर ओवर ब्रिज के पास से 03 अभियुक्तों नीरज कुमार चौहान व सुनील कुमार चौहान पुत्रगण रामआसरे चौहान, किशन कुमार चौहान उर्फ सोहित पुत्र विक्रम चौहान समस्त निवासीगण बड़ा बगीचा शिवपुर थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा युवक की हत्या अभियुक्त सुनील की पत्नी को अपशब्द कहें जाने की बात को लेकर अपाचे मोटरसाइकिल से ले जाकर काली खोह में हत्या कर शव को पास झाड़ियों के बीच स्थित कुएं में साक्ष्य छिपाने के आशय से फेंकने की बात बतायी गयी। अभियुक्तों की निशानदेही पर झाड़ियों में छिपाकर रखा हुआ एक बण्डल में बीन, प्लास्टिक की बाल्टी व स्टील का कडब्बा, मृतक का आधार कार्ड, ₹ 200/- नगद तथा घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल को पंचायत भवन बड़ा बगीचा शिवपुर से बरामद किया गया।

पूछताछ विवरण —

मृतक अन्तुनाथ(सपेरा)विगत कई वर्षों से विन्ध्याचल में रहकर सांप पकड़ने का काम करता था तथा सांप दिखाकर जीविकोपार्जन करता था। अभियुक्त सुनील के घर के बगल में दुकान पर रहता था। अभियुक्तगण नीरज कुमार चौहान, सुनील कुमार चौहान व किशन कुमार चौहान साथ-साथ खाते पीते थे। दिनांकः15.09.2025 को खाते-पीते समय सुनील व अन्तुनाथ के बीच कहासुनी व झगड़ा हो गया। अन्तुनाथ ने सुनील की पत्नी को अपशब्द बोले , जिसपर सुनील ने उसे मारपीटा। इसके बाद अन्तुनाथ रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था तभी किशन कुमार चौहान अपाचे मोटरसाइकिल लेकर आया। जिसपर सुनील और किशन दोनों साथ हो लिए तथा पटेंगरा नाला से अन्तुनाथ(मृतक) को अपाचे पर बैठा लिए तथा काली खोह ले गये। सुनील द्वारा उसके अण्डकोश पर पैर से मारा और वह बेहोश हो गया तब उसका बाल पकड़ कर पत्थर से लड़ा दिये तथा शर्ट खोलकर दोनों हाथ पीछे बांध दिये। उसको वहीं छोड़कर पुनः वापस आये और नीरज को मोबाइल सहित प्रकाश के लिए लेकर वहां गये। साक्ष्य छिपाने के आशय से तीनों मिलकर उसे कुएं में डाल दिये।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1.नीरज कुमार चौहान पुत्र रामआसरे चौहान निवासी बड़ा बगीचा शिवपुर थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-22 वर्ष।
2.सुनील कुमार चौहान पुत्र रामआसरे चौहान निवासी बड़ा बगीचा शिवपुर थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-36 वर्ष।
3.किशन कुमार चौहान उर्फ सोहित पुत्र विक्रम चौहान निवासी बड़ा बगीचा शिवपुर थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-21 वर्ष।

बरामदगी विवरण —

एक बण्डल में बीन, प्लास्टिक की बाल्टी व स्टील का कडब्बा, मृतक का आधार कार्ड, ₹ 200/- नगद(अभियुक्तगण की निशानदेही पर)
घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल वाहन संख्याःUP63AN0621.

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-357/2025 धारा 103(1),238(a) बीएनएस थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी स्थान, दिनांक व समय —

शिवपुर ओवर ब्रिज के पास से, आज दिनांकः11.10.2025 को समय 10:15 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

निरीक्षक वेद प्रकाश पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर।
उप-निरीक्षक सुनील कुमार मिश्रा, विजय शंकर तिवारी व आरक्षी रजनीश कुमार।